न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी हनुमान सहाय मीना.आई.ए.एस.

अपील संख्या : 54/2018 एल.आर. एक्ट

1. प्रतापसिह पुत्र सिगाराम जाति जाट निवासी मिठी तहसील सिवानी जिला भिवानी (हरियाणा)
2. वीरसिह पुत्र सिगाराम जाति जाट निवासी मिठी तहसील सिवानी जिला भिवानी (हरियाणा)
3. मुन्शीराम पुत्र सिगाराम जाति जाट निवासी मिठी तहसील सिवानी जिला भिवानी (हरियाणा)

अपीलान्ट्

बनाम

1. हवासिह पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी लसेड़ी तहसील राजगढ जिला चूरू।
2. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार राजगढ
3. विनोद कुमार पुत्र ईश्वर सिह जाट पूनिया पिलानी रोड़ लुहारू हरियाणा।
4. सरोज बाला पत्नी विनोद कुमार कोर्ट के पिछे लुहारू हरियाणा

रेस्पोडेन्टस

उपस्थित :–

श्री मेधाराम गोदारा – अभिभाषक अपीलांट्
श्री हरिश मदान – रेस्पोडेन्ट संख्या 1,3,4
श्री सुभाष सहू – राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 13–11–2019

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी राजगढ के निर्णय दिनांक 11–09–2018 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट हवासिह ने उपखण्ड अधिकारी राजगढ में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 का इस आश्य का पेश किया कि कृषि भूमि गत खं. नं. 440 तादादी 30–14 बीधा रोही कस्बा राजगढ मे मो. यासीन पुत्र मुबारक के नाम खातेदारी स्थित थी। मो. यासीन ने खं. नं. 440/1 तादादी 15.07 बीधा भूमि उतरी पश्चिमी तरफ की सालेह मोहम्मद को विक्रय कर दी। विक्रय पत्र के आधार पर चढे ईन्तकाल सं. 67 पर नक्शा भी दर्शाया गया मगर नामान्तरकरण मे दर्शाये अनुसार राजस्व रिकार्ड

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

के नक्शा मे लिपिकीय भूलवंश तरमीम नही किया गया। इस पर उपखण्ड अधिकारी राजगढ ने अपने निर्णय दिनांक 27.4.2015 द्वारा हवासिह का प्रार्थना पत्र स्वीकार खं. नं. 563 का नक्शा पेश अनेकचर– 'क' के अनुसार शुद्व किया जावे व खं. नं. 563 का अनेक्चर – 'क' नक्शा मे हाईवे क उत्तर मे समाहित करने क बाद शेष रकबा हाईवे के दक्षिण में पेमूद किया जावे। इस आदेश के विरूद्व अपीलान्ट ने इस न्यायालय मे दिनांक 28.3.17 को अपील पेश की । इस न्यायालय द्वारा अपील संख्या 135/2017 अनवान प्रताप सिह बनाम हवासिह दर्ज कर अपने निर्णय दिनांक 18.5.17 द्वारा अपीलान्ट प्रताप सिह वगैरह की अपील को त्रुटिपूर्ण होने के कारण निस्तारित कर उपखण्ड अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है जिस पर वे समुचित विनिर्णय ले और अपने निर्णय को पुनरावलाकन करे एवं अपीलार्थी के कथित एक तरफा निर्णय पारित करने के आक्षेप का निराकरण करने का निर्णय किया। इसके पश्चात अपीलान्ट प्रतापसिह वगैरह ने अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र पेश एक तरफा कार्यवाही अपास्त करने का पेश किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 11.9.18 द्वारा अपने पूर्व निर्णय दिनांक 27.4.15 मे पारित निर्णय में हस्तक्षेप नही मानते हुऐ अपीलान्ट प्रतापसिह वगैरह का प्रार्थना पत्र सारहीन मानते हुऐ खारिज कर दिया, जिसके विरूद्व अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

3. यह अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेंन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान अपील मीमो के बिन्दुओं को दोहराते हुये कहा कि जमाबन्दी सम्मत 2072 से 2075 व संबधित नामान्तरकरण संख्या 865 के मुताबिक खसरा नं. 564 रकबा 3.88 हैक्टर व खसरा नं. 565 रकबा 0.72 हैक्टर कुल रकबा 4.60 हैक्टर स्थित ग्रामिण राजगढ के मुताबिक अपीलान्ट की खातेदारी भूमि है। तथा खसरा नं. 563 रकबा 3.16 हैक्टर भूमि रेस्पोडेन्ट नं. 1 के नाम थी। जो अब उनके द्वारा विक्रय करने पर नामान्तरणकरण सं. 890 दिनांक 12.1.2016 रेस्पोडेन्ट नं. 3 व 4 के नाम दर्ज हो गई।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अपीलान्ट की खसरा नं. 564 व 565 की 4.600 हैक्टर मे से 1.7524 भूमि राष्टीय राजमार्ग संख्या 65 सड़क परिवहन एव राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अवाप्त की। भूमि राष्टीय राजमार्ग के पास आने से जमीन की कीमते बढ जाने से रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने अपनी भूमि को राजमार्ग के दक्षिण मे लाने के लिए सरकारी अम्लेजात से मिलकर गलत कार्यवाही की। वर्तमान पैमाईश के कर्मचारियो व अधिकारियो ने खातेदार द्वारा विक्रय की गई भूमि के आसा–पासा का मिलान किये बिना तथा प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना उक्त विवादित कृषि भूमि को अशुद्व रूप से दर्ज कर दिया। प्रार्थना पत्र दिनांक 27.4.15 के विरूद्व अति. संभागीय आयुक्त बीकानेर न्यायालय में अपील संख्या 135/2017 अनुवानी प्रतापसिह बनाम हवासिह प्रस्तुत हुई। जिसमे अति. संभागीय आयुक्त बीकानेर ने अपने निर्णय दिनांक 18.5.17 द्वारा निर्णय दिनांक 27.4.15 को पुनरावलोकन करने का आदेश दिया, पुनरावलोकन तभी होता है जब पूर्व का निर्णय निरस्त किया जाता है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा नही कर अपने पूर्व निर्णय को ही कायम रख दिया। अपीलान्ट को निर्णय की कभी सूचना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नही दी गई, जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर धारा 5 मियाद के प्रार्थना पत्र के साथ अपील पेश की गई है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार करते हुऐ अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.9.18 एवं 27.4.15 दोनो आदेश को निरस्त फरमाया जावे। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपने पक्ष के समर्थन में RRD 1977 पृष्ठ 547, RRD 1989 पृष्ठ 59, RRD 1990 पृष्ठ 441, RRD 1977 पृष्ठ 276, RRD 1994 पृष्ठ 505, RRD 2006 पृष्ठ 281, RLW 2019 (2) पृष्ठ 1473, RRD 2014 पृष्ठ 252, RRD 1959 पृष्ठ 156, 2016 (2) C J (Civ) (Raj) पृष्ठ 870 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 1,3,4 के अभिभाषक ने लिखित बहस प्रस्तुत कर बहस के दौरान कंहा कि कृषि भूमि के मूल ख.न. 440 ग्राम कस्बा राजगढ थे जिसमे से 15.07 बीधा को बेचान सालेह मोहम्मद को किया गया। जिसका नामान्तरकरण सं. 67 दर्ज हुआ । सालेह मोहम्मद ने 15.07 बीधा मे से उत्तरी तरफ की 12.10 बीधा अपने

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

पास रखते हुए दक्षिणी तरफ की 2.17 बीधा यासीन को विक्रय करदी जिसका नामान्तरकरण सं. 124 दर्ज हुआ। सालेह मोहम्मद के स्वामित्व की शेष बची उत्तरी तरफ की 12.10 बीधा भूमि रेस्पोडेन्ट हवासिह की खरीद शुदा है। जिस कारण हवासिह की खरीद शुदा भूमि का नक्शा भी इन्तकाल सं. 67 व 124 के अनुसार ही तरमीम होना चाहिये था मगर उक्त इन्तकाल में किये गये नक्शा के अनुसार राजस्व रेकार्ड के नक्शा मे तरमीम नही किया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 27.4.15 को मौका रिपोर्ट के अनुसार नक्शा शुदी के आदेश पारित किये गये जिस अदेश के खिलाफ श्रीमान जी के न्यायालय में अपीलान्ट अपील संख्या 135/2017 पेश की जो दिनांक 18.5.17 को खारिज कर दी गई व अपीलान्ट को विकल्प दिया कि वे अधिनस्थ न्यायालय मे एक पक्षिय कार्यवाही व सुनवाई का अवसर नही मिला के सम्बध में चारा जोई कर सकते है। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुन मौका रिपोर्ट मंगवाई जिस मौका रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट की सहमती से अपीलाधीन आदेश पारित किया व अपीलान्ट का आदेश 9 नियम 7 सी पी सी का प्रार्थना पत्र खारिज किया तथा अपना पूर्व निर्णय को बहाल रखा। पूर्व के निर्णय के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा की गई अपील श्रीमान जी द्वारा खारिज की जा चुकी है जिस कारण उसी आदेश की यह पुनः अपील पोषणीय नही है। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय में सुनकर आदेश पारित किया गया है इनका यह कंहना गलत है कि मुझे सुना नही किया, इसके अलावा अपील मियाद बाहर पेश की है,मियाद के बिन्दु पर भी अपील खारिज योग्य है। अतः अपील खिलाफ कानून होने से खारिज फरमायी जावे।

6. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही है उसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

7. हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। न्यायालय का निर्णय इस प्रकार है।

प्रकरण में मियाद अधिनियम की धारा 5 पर विचार किया जाता है:–

यह अपील उपखण्ड अधिकारी राजगढ के निर्णय दिनांक 11–09–2018 के विरूद्व इस न्यायालय में दिनांक 26–11–2018 को प्रस्तुत की गई है, जिसके साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि उक्त निर्णय की जानकारी उसे दिनांक 25.10.2018 को हुई । रेस्पोडेन्ट संख्या 1,3,4 के अभिभाषक ने इसका विरोध करते हुये कंहा कि अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी थी। अपीलान्ट द्वारा धारा – 5 के प्रार्थना पत्र में किये गये कथनो पर विश्वास करते हुऐ न्यायहित में अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपीलान्ट के अभिभाषक का मुख्य तर्क यह है कि वर्तमान पैमाईश खातेदार द्वारा विक्रय की गई भूमि के आसा–पासा का मिलान किये बिना तथा प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना उक्त विवादित कृषि भूमि को अशुद्व रूप से दर्ज कर दिया।

रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक का मुख्य तर्क यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः तहसीलदार से मौका रिपोर्ट मंगवाकर तथा मौका रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट की सहमति से अपीलाधीन आदेश पारित किया है।

रेस्पोडेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 27.4.15 के विरूद्व इस न्यायालय में अपील संख्या 135/2017 पेश की जो दिनांक 18.5.17 को खारिज कर अपीलान्ट को अवसर दिया कि वे अधिनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होकर एक पक्षिय कार्यवाही व सुनवाई का अवसर नही मिलने के सम्बध में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः तहसीलदार मौका रिपोर्ट मंगवाई जाकर मौका रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 11.9.2018 को निर्णय पारित किया जिसके विरूद्व अपीलान्ट ने पुनः इस न्यायालय में अपील पेश कर दी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट के अनुसार पारित निर्णय दिनांक

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

11.9.2018 में हम किसी प्रकार की त्रुटि नही पाते है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.9.2018 को यथावत रखा जाता है।

तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 13–11–2019 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Sahai Meena
Date: 2019.12.12 16:07:59 IST
Reason: SelfAttested
Location: